राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :— प 9 (63) परि/आरटीए/मु./ 32736 जयपुर, दिनांक : 19.06.2009

अधिसूचना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या – S.O. 162(E) दिनांक 10.03.1993 के निर्देशानुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 71 उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है :–

निर्देश

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है, कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जयपुर शहर में चालक सहित आठ सीटर तिपहिया/चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या सीमित किया जाना आवश्यक हो गया है, अतः जयपुर शहर में अनन्य रूप से नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले चालक सहित आठ सीटर तिपहिया/चार पहिया मंजिली वाहनों की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त प्रकार के वाहनों के निम्न सारणी में विनिर्दिष्ठ सीमा से अधिक अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत नहीं करेगी और यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए अनुज्ञा–पत्रों की अधिकतम संख्या 16 प्रतिशत व 12 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य होगा।

सारणी

जयपुर नगर निगम क्षेत्र में चालक सहित आठ सीटर तिपहिया/चार पहिया वाहनों के लिए स्वीकृत मार्गो, पर वाहनों की संख्या/सीमा निर्धारण का विवरण

क्र. सं.	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहन की अधिकतम संख्या
1.	1.	शिकारपुरा चौराहा से महात्मा गांधी अस्पताल	75
2.	2.	सांगानेर से जगतपुरा	60
3.	3.	सांगानेर से मदरामपुरा	50
4.	4.	रामगढ मोड से जगतपुरा	75
5.	5.	गोपालपुरा मोड से गुर्जर की थडी	50
6.	6.	रामगढ मोड से मालवीयनगर	50
7.	7.	सरोज सिनेमा से विद्याधर नगर	50
8.	8.	खिरणी फाटक से हरमाडा	50
9.	9.	सीकर रोड तिराहा से विश्वकर्मा	50
10	10	गोपालपुरा मोड से सांगानेर	50
11	11	गोपालपुरा मोड से भांकरोटा	50

राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार शर्मा),
उप शासन सचिव

क्रमांक :– प 9 (63) परि/आरटीए/मु./ 32739   जयपुर, दिनांक : 19.06.2009

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 19.06.2009 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री जी।
4. निजी सचिव, परिवहन राज्य मंत्री जी।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (यातायात) ।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त ।
7. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त ।
8. महालेखाकार, लेखा परीक्षा–II, राजस्थान सरकार।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
10. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
11. जिला कलेक्टर, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर
13. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर। · सार्वजनिक कार्यवाही
14. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

(7)